(19) (19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/2017/4358 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-08-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 8/अपील/2012-13

अशोक गुप्ता पुत्र स्व0श्री श्यामलाल गुप्ता
निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल
जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1-मायाबाई पत्नि विजय कुमार गुप्ता
निवासी बघराजी तहसील कुण्डम
जिला जबलपुर
2-कृष्ण कुमार पुत्र श्री श्यामलाल गुप्ता
3-दिलीप पुत्र श्री श्यामलाल गुप्ता
निवासीगण रूस्तमपुर तहसील पंधाना जिला खण्डवा
4-पूर्णा पत्नि शंकरलाल गुप्ता
विधिक प्रतिनिधि नितिन कुमार गुप्ता आत्मज श्री अशोक गुप्ता
निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल म0प्र0
हाल निवासी म0नं0डी 93 रीगल होम्स
अवधपुरी, भोपाल
5-छाया पत्नि शंकरलाल गुप्ता
निवासी म0नं0 88/1 रामगंज इंदौर
जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एन0गौर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई बहन है इनके पिता श्यामलाल के नाम ग्राम आखतवाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 156/1, 157, 159, 160 रकबा क्रमश: 1.99, 2.456, 0.364, 0.421 कुल रकबा 5.240 हेक्टैयर भूमि के भूमिस्वामी थे । श्यामलाल की मृत्यु के बाद अनावेदकपक्ष द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कर उसके हिस्से की भूमि पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर अलग से ऋण पुस्तिका बनाई जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 3-6-2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के सभी सह खातेदारों का हिस्सा न करते हुये अनावेदक मायाबाई का हिस्सा अलग कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-1-2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-08-2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक अंतिम बहस के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करते समय विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न कर त्रुटि की है क्योंकि निगरानीकर्ता को नायब तहसीलदार द्वारा उपस्थिति हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली सम्यक् एवं विधिक रूप से नहीं की गई है

एवं प्रोसेस राईटर/पोस्टमेन की तामीली के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य अंकित किये बगैर पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता की खानदानी भूमिको जिस पर उनकी मृत्यु बाद सभी वारिसानों का समान हक एवं स्वत्व है, जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक की माता की भूमि थी जो उन्हें अपने माता पिता अर्थात आवेदक के नाना-नानी की मृत्यु उपरांतहिस्से में प्राप्त हुई है जिस कारण उपरोक्त आलोच्य प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की असत्य एवं मनगंढत प्रस्तुत किये गये है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थन्यायालयों के समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि छह भाई बहनों में से केवल एक भाई ने बंटवारे पर आपत्ति ली है । तहसील न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 को उसके स्वत्व के अनुसार ही हिस्सा दिया है । तहसील न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे में क्या त्रुटि है इस संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, इसलिये आवेदक के तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

इसी प्रकार 2012 आरएन 391 ओमप्रकाश विरूद्ध मनोहर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - व्याप्ति निचले न्यायालयों के आदेश वैधानिक तथा उचित - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-08-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-08-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर